

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2004/आषाढ़ 1, 1926

No. 558]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2004/ASADHA 1, 1926

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2004

का. आ. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध उक्त सारणी के स्तंभ (1), में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्गों की सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड का सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	भूखंड कि. मी. में
(1)	(2)	(3)
53	सिलचर-इम्फाल सिलचर-बदरपुर	सिलचर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 54 सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के दो जंक्शनों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 53 की भाग

[फा. सं. एन एच-14012/11/2003-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2004

S.O. 717(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against them in column (2) of the Table, of the National Highway as described in column (1), of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Section	Stretches in Kilometer
(1)	(2)	(3)
53	Silchar-Imphal Silchar-Badarpur	Portion of NH 53 between the two junctions of NH 53 with NH 54 near Silchar.

[F. No. NH-14012/11/2003-P&amp;M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.